न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)
****

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-686/2026

UPST010023072026

अनूप कुमार मिश्र पुत्र वीरेन्द्र मिश्र, निवासी परमानपुर, थाना लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर
.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0-150/2025
अन्तर्गत धारा- 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व
3(1)(द), 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर।

दिनांक 24.03.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अनूप कुमार मिश्र के द्वारा मुकदमा अपराध सं0 150/2025, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व 3(1)(द), 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कूरेभार, जनपद सुलतानपुर में जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है। प्रार्थना पत्र, शपथपथ से समर्थित है।

2. अभियोजन का संक्षेप कथानक यह है कि वादी मुकदमा फकीर चन्द दिनांक 24.04.2025, शाम लगभग 5 बजे अपनी पत्नी के साथ ट्यूबेल पर खेत में पानी भरने गया था, जहाँ रेलवे सुरंग अंडरपास के पास चार व्यक्ति शराब पी रहे थे। वादी द्वारा मना करने पर परमानपुर निवासी अनूप मिश्रा पुत्र वीरेन्द्र मिश्रा अपने तीन साथियों के साथ जातिसूचक एवं अश्लील गालियाँ देने लगे तथा बाँस-डंडे से मारपीट की, जिससे वादी के हाथ, पंजे, दाहिने पैर व कमर में चोटें आईं। शोर मचाने पर लोग एकत्र हो गए, तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह पूर्णतया निर्दोष है, जिसे कथित अभियोग में मात्र उत्पीड़न की नीयत से झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी लगभग पाँच घंटे के विलम्ब से बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के दर्ज कराई गई है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। प्राथमिकी में कथित जातिसूचक शब्दों का न तो स्पष्ट उल्लेख है और न ही यह बताया गया है कि किसे कौन सी गाली दी गई, अतः एससी/एसटी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वादी मुकदमेबाज प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो लाभ प्राप्त करने हेतु लोगों को झूठा फंसाता है तथा किसी स्वतंत्र साक्षी का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे घटना अस्वाभाविक प्रतीत होती है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और उसे मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। इन्हीं कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया एवं जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष (फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारने-पीटने, गाली-गलौज देने व जान माल की धमकी देने का अभियोग है। कथित घटना में वादी मुकदमा को चोटें आना कहा गया है। पत्रवाली में चोटहिल की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल है। चिकित्सक द्वारा चोट संख्या 1, 4 को सामान्य प्रकृति की बताते हुए चोट संख्या-2, 3, 5 को एक्सरे की सलाह हेतु सन्दर्भित किया गया है। वादी/चोटहिल की की एक्स-रे रिपोर्ट में कोई असामान्यता (No Abnormality Detected) अंकित है। सम्बन्धित थाने से प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व दोषसिद्धि का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर हैं, उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। मामले में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा मामला विचारण के स्तर पर लम्बित है। गवाहों को डराये/धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण-दोष पर पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अनूप कुमार मिश्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/-रूपये की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये-

1. प्रार्थी/अभियुक्त अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता/35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

ह0
(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

दिनांक 24.03.2026

(स्टेनो सुधीर सिंह)

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मो0 कासिम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-312/2025, अन्तर्गत धारा 308(5), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना कूरेभार, जनपद सुलतानपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सुलतानपुर।

दिनांक 11.03.2026

(स्टेनो सुधीर सिंह)

(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)